

क्र. शा. 09/व/18

पत्रांक-02/न०वि०/स्था०व्यय/वेतन आ०/112/2018-.....

121

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनुदान

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक- 09/10/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद अंतर्गत देवघर नगर निगम के नियमित कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में वेतन/बकाया वेतनादि का अन्तर राशि के भुगतान हेतु अधियाचित राशि कुल 1,28,38,088/- रु० के विरुद्ध अनुदान के रूप में कुल अधियाचित राशि का 30% यथा, रु० 38,51,427/- (अड़तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ सत्ताईस रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना मद अंतर्गत देवघर नगर निगम के नियमित/सेवानिवृत्त कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में वेतन/छठा वेतन पुनरीक्षण के तहत निर्धारित वेतनमान का बकाया अन्तर राशि के भुगतान हेतु अधियाचित राशि कुल 1,28,38,088/- रु० के विरुद्ध अनुदान के रूप में कुल अधियाचित राशि का 30% यथा, रु० 38,51,427/- (अड़तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता-उपशीर्ष-27-नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)-(विपत्र कोड-48S221780191270646) अंतर्गत उपबंधित राशि 16.00 करोड़ रु० से की जायेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी जिला कोषागार, देवघर से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।
- विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

निगम का नाम	स्वीकृतादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
देवघर	83/22.07.16	1,13,34,114	1,13,34,114
	248/09.01.16	25,93,838	25,93,838

- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् राशि की निकासी संबंधित कोषागार से झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुसार विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत की जायेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/वि० दिनांक-17.4.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।

8. उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-2223 दि०-09.09.09 एवं 1591 दि०-16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के छठे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् विभाग स्तर से वित्त विभागीय नियम के आलोक में सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
9. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को छठे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मियों को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अतिरिक्त वेतन का सामंजन कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक-15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
11. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत अनुदान की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।
12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. राशि के आवंटन विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।  
अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि०, दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था०व्यय/वेतन आ०/112/2018-.....12) राँची, दिनांक-.....09/10/18

प्रतिलिपि-माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संथाल परगना, दुमका/उपायुक्त, देवघर/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, देवघर/मेयर/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।